राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–772,773,774 / 2014 / अलवर

मै. रिद्धि सिद्धी माईक्रोन्स, एम.आई.ए., अलवर, ...अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन वृत्त, अलवर ...प्रत्यर्थी

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अलकेश शर्मा
अभिभाषक ...अपीलार्थी की ओर से

श्री आर.के.अजमेरा
उप राजकीय अभिभाषक ...प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.04.2018

निर्णय

1. ये तीनों अपीलें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) वाणिज्यिक कर, अलवर द्वारा प्रकरण संख्या क्रमशः 194, 195, 196 / सीएसटी / 2012–13 / उपा / अपील्स / अलवर में पारित संयुक्त आदेश दिनांक 06.01.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलीय अधिकारी ने सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन वृत्त, अलवर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **"केन्द्रीय अधिनियम 1956"** कहा जायेगा) की धारा 9 सपठित राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम 2003"** कहा जायेगा) की धारा 25, 26 व 55 के अन्तर्गत वर्ष 2010–11 (दिनांक 01.12.10 से 31.03.10), एवं वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 (दिनांक 01.04.12 से 18.04.12) की अवधियों से संबंधित पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.12.12 द्वारा कायम किये गये निम्नांकित कर व ब्याज को यथावत रखा गया है।

क्र. सं.	अपील सं.	विभागीय अपील सं.	कर निर्धारण वर्ष	आदेश दिनांक	अधिनियम की धारा	विवादित मांग राशि का विवरण		
						अन्तर कर	ब्याज	कुल मांग
1	194CST/12-13	772 / 2014	2010-11(01-12-10 to 31-03-11)	03.12.12	9 r/w 25&55	73157/-	15703/-	88860/-
2	195CST/12-13	773 / 2014	2011-12	03.12.12	9 r/w 25&55	217753/-	30107/-	247860/-
3	194CST/12-13	774 / 2014	2012-13 (up to 18-04-12)	03.12.12	9 r/w 25&55	8324/-	581/-	8905/-

2. उपर्युक्त तीनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान होने के कारण इन तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। आदेश की प्रति प्रत्येक अपील पत्रावली में पृथक–पृथक रखी जावे।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देशानुसार सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, प्रतिकरापवंचन,

लगातार.....2

वृत्त–अलवर, द्वारा मय टीम दिनांक 18.04.2012 को अपीलार्थी व्यवसायी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण श्री विवेक अग्रवाल, बिजनेस मैनेजर की उपस्थिति में किये जाने पर पाया कि व्यवसायी फर्म द्वारा मार्बल पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं केल्साईट पाउडर का विनिर्माण कर राज्य के भीतर व राज्य के बाहर विक्रय किया जाता है। वक्त सर्वेक्षण जांच पर यह भी पाया गया कि व्यवसयी द्वारा राज्य के बाहर किये गये विक्रय पर माह जनवरी, 2010 से नवम्बर, 2010 तक पूर्ण कर दर @ 2 % से कर चुकाया गया है, तत्पश्चात् राज्य सरकार द्वारा MSME इकाईयों के लिए 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर कर में छूट हेतु जारी अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) का लाभ लेते हुए व्यवसायी फर्म द्वारा दिनांक 01.12.10 से 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर @ 0.25% से कर चुकाया जा रहा है। इस संबंध में सर्वेक्षण अधिकारी के अनुसार राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना का लाभ केवल उन्हीं एन्टरप्राइजेज को दिये है जो कि MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत MSME इकाई होने की पात्रता रखता है तथा MSMED Act, 2006 के प्रावधानुसार केवल वे औद्योगिक इकाईयॉ ही पात्र है, जो Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची–प्रथम में अंकित वस्तुओं का उत्पादन एवं विनिर्माण करती है। चूंकि व्यवसायी फर्म द्वारा उत्पाादित / विनिर्मित वस्तु मार्बल पाउडर, डोलोमोइट पाउडर एवं केल्साईट पाउडर का Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची–प्रथम में उल्लेख नहीं होने से व्यवसायी फर्म द्वारा की गई 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर उसे राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ देय नहीं है। इसके बावजूद भी व्यवसायी फर्म द्वारा जानबूझकर दिनांक 01.12.10 से उक्त वस्तुओं की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर पूर्ण कर दर @0.25% के स्थान पर रियायती कर दर @ 0.25% से कर चुकाते हुए @ 1.75% कर का अपवंचन किया जाना पाये जाने के कारण सर्वेक्षण अधिकारी द्वारा व्यवसायी फर्म के विरूद्व वैट कर अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के अन्तर्गत अभियोग बनाकर उपायुक्त (प्रशासन), वाणिज्यिक कर, अलवर के निर्देशानुसार अभियोग पत्रावली सक्षम अधिकारी को स्थानान्तरित की गई। सक्षम अधिकारी द्वारा अभियोग पत्रावली पर उलबध तथ्यों / दस्तावेजों का अवलोकन किये जाने के उपरान्त व्यवसायी फर्म को आलोच्य अवधियों के लिए केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 सपठित धारा 25, 55 व 61 आफ आरवेट एक्ट, 2003 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस जारी किया गया जिसकी पालना में व्यवसायी फर्म की ओर से लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया जिसमें जाहिर किया गया कि MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को लिये संशोधन के अनुसार Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची–प्रथम में अंकित वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लिये जाने के कारण व्यवसायी फर्म द्वारा

लगातार.....3

उत्पादित/विनिर्मत वस्तुओं की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @0.25% का लाभ प्राप्त होगा। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों का विश्लेषण एवं विवेचन करने के पश्चात सक्षम अधिकारी द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत केवल उन्ही औद्योगिक इकाईयों को रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र माना गया है जो Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची–प्रथम में दिनांक 14.02.2008 को अंकित वस्तुओं के उत्पादन/विनिर्माण में संलग्न हों एवं उक्त अधिसूचना के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा आदिनांक तक इस अधिसूचना में कोई संशोधन नहीं करने से व्यवसायी इस अधिसूचना के अन्तर्गत छूट का पात्र नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा यह भी माना गया कि वस्तुओं MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किये संशोधन के पश्चात् भी केवल उन्हीं उद्यमों को उक्त अधिसूचना के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र माना गया है जो कि Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची–प्रथम में अंकित वस्तुओं के उत्पादन/विनिर्माण में संलग्न हों अथवा अनुसूची–प्रथम से संबंधित इकाईयों से उत्पादित अन्तिम उत्पाद के मूल्य संवर्द्धन की प्रक्रिया में संलग्न इकाईया हो। सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवसायी के जवाब में वर्णित इस तथ्य को अमान्य कर दिया गया कि MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.2009 को किये गये संशोधन के पश्चात् सभी औद्योगिक इकाईयों को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.2008) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त होगा। अतः उक्त आधारो पर सक्षम अधिकारी द्वारा व्यवयायी के जवाब में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए उसके द्वारा वर्ष 2010–11 से 2012–13 के दौरान दिनांक 01.12.10 से 18.04.12 तक की अवधियों मे की गई 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर पूर्ण कर दर @ 2% के स्थान पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.2008) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% से कर चुकाये जाने के कारण आलोच्य अवधियों की 'सी' फार्म समर्थित अर्न्राज्यीय बक्री पर @ 1.75% से करारोपण करते हुए उपरोक्त तालिका के अनुसार अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया गया तथा व्यवसयी द्वारा जवाब में वेट कर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के संबंध में उद्धरित किये गये माननीय विभिन्न न्यायालयों के निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस में प्रस्तावित वेट कर अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति कार्यवाही को निरस्त करते हुए तालिका के

लगातार.....4

अनुसार कुल मांग कायम की गई जिनके विरूद्व व्यवहारी द्वारा अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने तीनों अपीलें अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा ये तीनों अपीलें कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी आरवेट एक्ट एवं सीएसटी एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत व्यवसायी है जिसके द्वारा मिनरल पाउडर का विनिर्माण एवं विक्रय किया जाता है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत लघु इकाई के रूप में भी पंजीयन प्राप्त किया गया है। राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के द्वारा Micro & Small Enterprises को 'सी' फार्म के समर्थन में अन्तर्राज्यीय बिक्री करने पर रियायती कर दर @0.25% का लाभ दिया गया है। MSMED Act, 2006 में Industries (Development & Regulation) Act, 1951 की अनुसूची–प्रथम में अंकित वस्तुओं के उत्पादन/विनिर्माण करने पर ही उद्योग को MSME माना गया है। अनुसूची–प्रथम के शीर्षक क्रमांकः 18, 19, 21, व 22 में वर्णित वस्तुओं में अनुसूची के नीचे दिये गये स्पष्टीकरण में अंकित क्रमांक 2 पर उन वस्तुओं के लिए आवश्यक 'Intermediates' को भी सम्मिलित किया गया हैं। इस आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी जो कि क्रमांक 19 पर अंकित वस्तु के 'Intermediates' की 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री करता है, को भी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त होगा। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि दिनांक 16.01.2009 की अधिसूचना के पश्चात सभी प्रकार के उद्योगो को चाहे वे अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योग की सूची में नहीं हो, को भी अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 के अन्तर्गत रियायती कर दर की छूट का पात्र माना गया किन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने इसे नहीं मानकर विधिक त्रुटि की है। उन्होंने अपने तर्क के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय 1566/2012 निर्णय दिनांक 23.02.2016 मै. श्री श्याम इण्ड. बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, ए.ई. श्रीगंगानगर का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया। इन्होंने आगे कथन किया कि अपील सं. 383 से 386/2014/अलवर मैसर्स हिन्द ट्रेडर्स, अलवर बनाम सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, वृत्त अलवर में माननीय राजस्थान कर बोर्ड की खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2015 में भी केल्साईट पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एवं मार्बल पाउडर के निर्माण एवं विक्रय से संबंधित बिन्दु था तथा यह प्रकरण इस न्यायिक दृष्टांत से आच्छादित होने के कारण अपीलें स्वीकार योग्य है। उपर्युक्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के आधार पर अपीलार्थी की अपील को स्वीकार करने एवं सक्षम अधिकारी द्वारा विवादित आदेशों में 1.75% की दर से आरोपित किये गये अन्तर कर व ब्याज को अपास्त करने का निवदेन किया।

लगातार.....5

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी की अपीलों का प्रतिरोध करते हुए अपीलार्थी की अपीलों को अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया तथा अपीलीय न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. विचाराधीन प्रकरणों में विवादित बिन्दु यह है कि अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु मार्बल पाउडर, डोलोमाईट पाउडर एंव केल्साइट पाउडर पर MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.09 को किये गये संशोधन के पश्चात क्या सभी प्रकार के उद्योगो को अधिसूचना दिनांक 14.02.08 की छूट प्राप्त होगी ?

सर्वप्रथम यहां पर राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) एवं Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 की धारा 7(1)(i)(a)(b)(c) एवं Amendment in MSMED Act, 2006 on dated 16-01-09 का अवलोकन किया जाना आवश्यक है, जो इस प्रकार है :–

(I) अधिसूचना क्रमांक : F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08

"In exercise of the power conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby directs that tax payable under the said Act by a registered dealer during the period he enjoys status of Micro and small enterprise (but not being a medium enterprise) as defined in the Micro, small and medium Enterprises Development Act, 2006 (Act No. 27 of 2006), in respect of the sale of goods manufactured by him from his place of business in the State, in the course of interstate trade of commerce shall be calculated at the rate of 0-25%"

(II) अधिसूचना क्रमांक : F.12(99)FD/Tax/07-71 दिनांक 21.02.08

"In exercise of the power conferred by sub-section (5) of section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (Central Act No. 74 of 1956), the State government being of the opinion that it is expedient in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the department's notification No. F.12(99)FD/Tax/07-66 दिनांक 14.02.08 namely : -

AMENDMENT

In said notification, the existing expression "registered dealer" shall be substituted by the expression "registered dealer who commences purchase of plant and machinery on or after 14-02-08 for setting up of enterprise"

(III) **Ministry of Small Scale Industries Notification New Delhi 29th September, 2006 :-**

S.O. 1642 (E) : - The Central Government, in exercise of the power conferred by sub-Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, after having obtained the recommendation of the Advisory Committee under sub-section (4) of section 7 of the Act, In this regard, hereby notifies the following enterprises, whether proprietorship. Hindu undivided family, association of persons, co-operative society, partnership of undertaking or any other legal entry, by whatever name called:

(i) in the case of enterprise engaged in the manufacture or production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule to the Industries (Development & Regulation) Act, 1951, as-

लगातार.....6

(a) a micro enterprise, where the investment in plant and machinery does not exceed twenty five lakh rupees;
(b) A small enterprise, where the investment in plant and machinery is more than twenty five lakh rupees but does not exceed five crore rupees; or
(c) a medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than five crore rupees but does not exceed ten rupees.

(IV) Micro, Small & Medium Enterprises Development Act, 2006 में दिनांक 16.01.09 को किया गया संशोधन निम्न प्रकार है : –

(फा.सं. 2(10)/2006–एमएसएमई नीति)

S.No. 199(E) – in exercise of the power conferred by sub-Section 1 of Section 7 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006), the Central Government, after obtaining the recommendation of the Advisory Committee sub-section (4) of section 7 of the Act, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 1642, dated 29 September 2006 namely : -

In the said notification for the portion being with the brackets, letter and words "(i) in the case of the enterprises" and ending with words, brackets and figures "the Industries (Development and Regulation) Act, 1951. As- "the following shall be substituted namely"-

"(i) in case of the enterprises" engaged in the manufacture of production of goods pertaining to any industry specified in the First Schedule of Industries (Development and Regulation) Act, 1951 **or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use, as.".**

[F.No.2(10)2006-MSME Policy)

अतः राज्य सरकार द्वारा MSME के लिए केन्द्रीय विक्रय कर के संबंध में रियायत देने हेतु जारी उक्त अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनाक 21.02.08) MSMED Act, 2006 एवं दिनांक 16.01.09 को MSMED Act, 2006 में किये गये संशोधन एवं Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में परिभाषित Micro and Small Enterprises द्वारा उत्पादित माल के अन्तर्राज्यीय संव्यवहार पर देय केन्द्रीय विक्रय कर में रियायत हेतु अधिसूचना दिनांक 14.02.08 जारी की गई एवं उसमे सुधार करते हुए दिनांक 21.02.08 को संशोधित अधिसूचना जारी की गयी।

8. उपर्युक्त अधिसूचनाओं में वर्णित प्रावधानों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि एक पंजीकृत व्यवसायी जो कि MSMED Act, 2006 में Micro and Small Enterprises का दर्जा प्राप्त है एवं साथ ही उसके द्वारा उद्यम स्थापना हेतु दिनांक 14.02.08 के पश्चात प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का क्रय कर स्थापित किया जावे, तब उसके द्वारा उत्पादित माल की अन्तर्राज्यीय बिक्री 'सी' फार्म के समर्थन में करने पर केन्द्रीय बिक्री पर रियायती कर दर @ 0.25% का लाभ प्राप्त होगा। अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) में कर छूट देय होने के लिए महत्वपूर्ण शर्त है कि ऐसे उद्यम जो कि MSMED Act, 2006 में Micro and Small Enterprises होने की पात्रता रखते हो। इसके लिए MSMED Act, 2006 की धारा 7(1)(i) के क्लॉज (a) एव (b) में दी गई परिभाषा का आवलोकन करना आवश्यक है जिसके अनुसार Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योगो से संबंधित वस्तुओं के उत्पादन एवं

लगातार.....7

विनिर्माण में संलग्न उद्यम, जिनमें प्लान्ट एवं मशीनरी में विनिवेश 25 लाख से कम हो, सूक्ष्म (Micro) तथा जिनमे 25 लाख से अधिक किन्तु पांच करोड से कम का विनिवेश हो, को लघु (Small) इकाई मानी जावेगी। इस प्रकार किसी उपक्रम के MSMED Act, 2006 के अन्तर्गत होने के लिए उसमें प्लाण्ट एण्ड मशीनरी में निवेश होने एवं Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित उद्योग संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न होने संबंधी दोनों शर्तो की पालना करना आवश्यक हैं। इसी प्रकार MSMED Act, 2006 में केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 16.01.09 को संशोधन करते हुए MSME की परिभाषा में किये गये विस्तार **"or employing plant and machinery in the process of value addition to the final product having a distinct name or character or use, as."** के अनुसार Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में वर्णित किसी भी उद्योग से संबंधित वस्तु के विनिर्माण एवं उत्पादन में लगे हुए उद्यम अथवा **भिन्न नाम, प्रयोग एवं लक्षण रखने वाले अन्तिम उत्पादन के मूल्यर्वधन की प्रक्रिया में प्लाण्ट एण्ड मशीनरी का नियोजन करने वाले उद्यम का भी MSME की श्रेणी में माना गया हैं।**

9. इस आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा उत्पादित वस्तु मार्बल पाउडर डोलोमाईट पाउडर एवं केल्साईट पाउडर के विनिर्माण एंव उत्पादन में संलग्न होने के आधार पर उद्योग विभाग, अलवर से उसे Micro Enterprises के रूप में पंजीकृत किया गया है दिनांक 16.01.09 को केन्द्र सरकार द्वारा MSMED Act, 2006 में संशोधन करने के पश्चात Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित उद्योगो के अतिरिक्त उन्य उद्योगो को भी MSME में सम्मिलित कर लिये जाने से ऐसे उपक्रमों को भी राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अन्तर्गत 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री पर रियायती कर दर @0.25% का लाभ प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है।

10. उक्त सन्दर्भ में MSMED Act, 2006 एवं इसमें किये गये संशोधन दिनांक 16.01.09 का अवलोकन करने से स्पष्ट हेाता है कि दिनांक 16.01.09 के संशोधन के पूर्व MSMED Act, 2006 में MSME की दी गई परिभाषा के अनुसार केवल ऐसे उद्यम को ही MSME की श्रेणी में माना गया था जो कि Industries (Development and Regulation) Act, 1951 की अनुसूची प्रथम में अंकित वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण कार्य में संलग्न हों किन्तु दिनांक 16.01.9 को MSMED Act, 2006 में किये गये संशोधन के पश्चात प्रथम अनुसूची में वर्णित वस्तुओं के उत्पादन एवं विनिर्माण में संलग्न उद्यमों के साथ–साथ अन्तिम उत्पादन के मूल्यसंवर्धन संबधी प्रक्रिया के लिए प्लाण्ट एण्ड मशीनरी में निवेश करने संबधी उद्यम को भी MSME माना गया। इस प्रकार विनिर्माण में संलग्न उद्यमों की दशा में अनुसूची प्रथम में अंकित वस्तुओं से संबंधित निर्माण कार्यो में संलग्न होने की दशा में ऐसे उद्यमों को भी MSME की श्रेणी में संशोधन दिनांक 16.01.09 द्वारा सम्मिलित कर लिया गया है।

लगातार.....8

11. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.02.08) के अनुसार 'सी' फार्म समर्थित अन्तर्राज्यीय बिक्री कर रियायती कर दर @0.25% की छूट के पात्र उद्यम कौन–कौनसे होगे। इस संबंध में राज्य सरकार की उक्त अधिसूचना के अनुसार वे एन्टरप्राईजेज ही पात्र माने जावेगे जो दिनांक 14.02.08 का अथवा इसके उपरान्त प्लाण्ट एण्ड मशीनरी की खरीद करके एन्टरप्राईजेज स्थापित करेंगे तथा उन्हें MSMED Act, 2006 की परिभाषा के अनुसार Micro Small Enterprises का दर्जा प्राप्त हो। MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.09 को किये गये संशोधन के पश्चात प्रथम अनुसूची में वर्णित वस्तुओं से संबंधित उत्पादन विनिर्माण में संलग्न उद्यमों के साथ–साथ अन्तिम उत्पादन में मूल्य संवर्द्धन की प्रक्रिया/प्रसंस्करण के कार्यो हेतु भी स्थापित प्लान्ट एण्ड मशीनरी संबंधी उद्यमों संबंधी उद्योगो को इस संशोधित अधिसूचना द्वारा सम्मिलित किया गया है।

12. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यवहारी फर्म ने वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.02.08 (यथा संशोधित दिनांक 21.02.08) के अनुसार Micro & Small Enterprises के तहत पंजीयन प्राप्त किया है तथा MSMED Act, 2006 में दिनांक 16.01.09 को संशोधन के पश्चात् उक्त इकाई को अन्तर्राज्यीय बिक्री करने पर 0.25 प्रतिशत की दर से रियायती कर दर का लाभ प्राप्त है। माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ ने अपील सं 1566/12 निर्णय दिनांक 23.02.16 एवं कर बोर्ड की अन्य खण्डपीठ ने अपील सं 383, 384, 385, 386/2014/अलवर निर्णय दिनांक 17.09.15 में इसी प्रकार से अभिनिर्धारित किया है। हस्तगत प्रकरण माननीय कर बोर्ड की खण्डपीठ के उपरोक्त निर्णयों से पूर्णतया आच्छादित हैं। इसलिए व्यवसायी की तीनों अपीलें स्वीकार की जाती है। अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 06.01.2014 को अपास्त किया जाता है।

13. निर्णय सुनाया गया।

मदनलाल मालवीय
(सदस्य)

नत्थूराम
(सदस्य)